

फर्द अहकाम


(नियम 26)

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी, अलवर

मुकाम अलवर

सरला देवी बनाम अब्दुल रहीम

मुकदमा अपील नं० सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
11.01.2023	<p>आज यह पत्रावली वकील अपीलांट ने पेश की। दर्ज रजिस्टर हों। अप्रार्थीगण जर्जे नोटिस तलब हो। पत्रावली दिनांक 20.03.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी, अलवर। </p> <p> 20-3-23 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप० पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्या में व्यस्त है। दिनांक 25-4-23 को पेश हो। 25-4-23 को पेश हो। </p> <p style="text-align: center;">रीडर</p>	<p>UT Fecm 4, 6, 7 20/3/23 (इ.प्र.सि.)</p>
	<p>पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप० पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्या में व्यस्त है। दिनांक को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">रीडर</p>	
	<p>पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप० पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्या में व्यस्त है। दिनांक को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">रीडर</p>	

10-7-23

पत्रावली पेश हुई रखने की कोर
ले क्लर्क रूबी एडवो. का वकालतनामा
पेश पत्रावली वाले जवाब पेश होत
पत्रावली दि. 21-9-23 को पेश होत।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

21-9-23

वकील वादी/वकुलाय उप०। बार का कार्य
स्थगन होने के कारण पत्रावली वास्ते
दिनांक... 11.10.23 को पेश हो।

11-10-23

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०।
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्य
में व्यस्त है। दिनांक... 13.12.23 को पेश हो।

13-12-23

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०।
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्य
में व्यस्त है। दिनांक... 21.2.24 को पेश हो।

रीडर

21-2-24

वकील वादी/वकुलाय उप०। बार का कार्य
स्थगन होने के कारण पत्रावली वास्ते
दिनांक 15.4.24 को पेश हो।

रीडर

15-4-24

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०।
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्य
में व्यस्त है। दिनांक... 24-6-24 को पेश हो।

24/6/24

वकील वादी/वकुलाय उप०। बार का कार्य
स्थगन होने के कारण पत्रावली वास्ते
दिनांक... 2/9/24 को पेश हो।

रीडर

उपखण्ड अधिकारी, अलवर

मुकाम अलवर

बनाम

मा

नं०

सन्

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

3-9-24

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०।
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यो
में व्यस्त है। दिनांक.....
को पेश हो।

18-11-24

रीडर

18-11-24

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०।
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यो
में व्यस्त है। दिनांक.....
को पेश हो।

15-1-25

रीडर

15-1-25

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०।
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यो
में व्यस्त है। दिनांक.....
को पेश हो।

24-3-25

रीडर

24-3-25

वकील वादी/यकुलाय उप०। बार का कार्य
स्थगित होने के कारण पत्रावली व्यस्त.....
दिनांक...23...5...25...को पेश हो।

13-5-25

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०।
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यो
में व्यस्त है। दिनांक.....
को पेश हो।

15-7-25

रीडर

15/7/25

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०।
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यो
में व्यस्त है। दिनांक...23/9/25
को पेश हो।

P

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

23-9-25

पुस्तकालय के पुस्तकें
को हानि होने पर पुस्तकालय
दि० 13-10-25 को पुस्तकें हानि
होने पर पुस्तकें हानि

उपस्थंड अधिकारी
अलवर

13-10-25

पुस्तकालय के पुस्तकें
को हानि होने पर पुस्तकालय
दि० 13-10-25 को पुस्तकें हानि
होने पर पुस्तकें हानि

उपस्थंड अधिकारी
अलवर

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर जिला अलवर (राज.)

मु.नं.
5/07

पीठासीन अधिकारी : श्री माधव भारद्वाज (आई0ए0एस)
किस्म तारीख दायर तारीख निर्णय
अपील 11.01.2023 13.10.2025

उनवान

- 1-श्रीमती सरला देवी पत्नी राधेश्याम सैन उम्र करीब 56 साल निवासी ग्राम पोस्ट सालपुर तहसील व जिला अलवर हाल वासी ग्राम भाखेडा प्रताप बोहरा कालोनी तहसील व जिला अलवर
- 2-विनका गुर्जर पुत्र जयवीर गुर्जर निवासी रिंगसपुरी किशनपुरा तह. व जिला अलवर हाल ग्राम भाखेडा प्रताप बोहरा कालोनी तह. व जिला अलवर
- 3-कुलदीप सिंह पुत्र शिम्भू सिंह जाति राजपूत निवासी तंवर कालोनी लाल डिग्गी अलवर तहसील व जिला अलवर
- 4-श्रीमति बिमला पत्नी पूरणमल जाति अहीर निवासी धाबाई जी काबाग तह. व जिला अलवर
- 5-बाबूलाल पुत्र पन्ना लाल सैनी जाति सैनी निवासी विवेकानंद नगर सैक्टर 4 अलवर अपीलांतान

बनाम

- 1-अब्दुल रहीम पुत्र स्व० रज्जाक जाति मेव निवासी भाखेडा तहसील व जिला अलवर
- 2-आजाद पुत्र स्व० रज्जाक जाति मेव निवासी भाखेडा तहसील व जिला अलवर
- 3-ईसलाम पुत्र स्व० रज्जाक जाति मेव निवासी भाखेडा तहसील व जिला अलवर
- 4-ईसलामी पुत्री रज्जाक जाति मेव निवासी भाखेडा तहसील व जिला अलवर
- 5-जन्नती पुत्री रज्जाक जाति मेव निवासी भाखेडा तहसील व जिला अलवर
- 6-ईनाम पुत्र स्व० रज्जाक जाति मेव निवासी भाखेडा तहसील व जिला अलवर
- 7-साबूदीन पुत्र स्व० रज्जाक जाति मेव निवासी भाखेडा तहसील व जिला अलवर
- 8-सरपंच ग्राम पंचायत केसरपुर पंचायत समिति उमरैण अलवर

रेस्पाडेन्टान

अपील विरुद्ध इंतकाल संख्या 740 आदेश दिनांक 21-07-2016 वाके ग्राम भाखेडा, ग्राम पंचायत केसरपुर, पंचायत समिति उमरैण तहसील अलवर
निर्णय

अपीलान्टस ने राज. भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत जयें वकील ने निवेदन किया जिसका सक्षिप्त में कथन इस प्रकार है कि वर्तमान अपील विरुद्ध इंतकाल संख्या 740 वाके भाखेडा, ग्राम पंचायत केसरपुर दिनांक 21-7-16 के विरुद्ध है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को होने से अपील न्यायालय श्रीमान में पेश की जा रही है। यह कि आलोच्य इंतकाल दिनांक 21-7-16 का है जिसकी जानकारी मिन अपीलांत


उपखण्ड अधिकारी
अलवर

को पूर्व में नहीं थी उक्त इंतकाल की जानकारी सर्वप्रथम अपीलान्ट को दिनांक 21-9-2022 को तब हुई जब मिन अपीलान्ट को पट्टा हेतु कागजात की आवश्यकता हुई जिस पर दिनांक 21-9-2022 को ही अपीलान्ट ने उक्त इंतकाल की नकल लेने हेतु आवेदन किया जो नकल अपीलान्ट को 22-9-2022 को प्राप्त हुई नकल मिलने के उपरांत मिन अपीलान्ट को पूर्ण जानकारी हुई कि रेस्पा. संख्या एक लाए 7 के नाम राजस्व रेकार्ड में इंतकाल दर्ज कर दिया गया है जिस पर मिन अपीलान्ट ने अपने अधिवक्ता से सलाह मशवरा किया और कानूनी जानकारी प्राप्त की तो वकील सहाब ने अपील प्रस्तुत करने की सलाह दी जिस पर अपील के खर्चों के लिए पैसे का इंतजाम कर आज अपील तैयार करा कर बिना देरी जानकारी से अंदर अवधी पेश की जा रही है अवधी कन्डोन हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम अलहेदा से पेश है। तहत अदालत का निर्णय दिनांक 21-7-16 विधि विरुद्ध व तथ्यों के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।


यह कि आराजी खसरा नंबर 317 वाके ग्राम भाखेडा में है जो आराजी रेस्पा० 1 ला० 7 के पिता व पति रज्जाक पुत्र मल्लड मेव की खातेदारी की आराजी थी तथा रज्जाक पुत्र मल्लड मेव से उक्त आराजी खसरा नंबर 317 का सम्पूर्ण भाग अपीलान्ट व अन्य ने जरिये बयनामा खरीद किया हुआ है तथा मौके पर काबिज है रेस्पा० का कोई संबंध सरोकार किसी प्रकार का नहीं है। तथा रज्जाक स्वर्गवास हो जाने के उपरांत रेस्पाडेन्ट ने उक्त आराजी की बाबत इंतकाल सं० 740 विधि विरुद्ध के अपने नाम दर्ज करा लिया

असल रेस्पा. ने मिन अपीलान्ट के बाला बाला राजस्व कर्मचारियान से मिली भगत कर बेजा रूप से अपने नाम इंतकाल दर्ज करवा लिया विवादित आराजी से असल रेस्पा. का कोई संबंध सरोकार किसी प्रकार का नहीं है क्योंकि उक्त आराजी रज्जाक पुत्र मल्लड ने अपीलान्ट व अन्य को बेचान अपने जीवनकाल में ही कर दी इसलिये इंतकाल संख्या 740 में उक्त आराजी खसरा नंबर 317 की बाबत रेस्पाडेन्टस 1 ला० 7 के नाम को कलम किया जाना न्यायोचित है अन्य एतराज वक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगे।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर तहत अदालत ग्राम पंचायत केसरपुर का आदेश दिनांक 21-7-16 बाबत इंतकाल नंबर 740 वाके केसरपुर में से रेस्पा० 1 ला० 7 का नाम कलमजन किया जाकर अपीलान्ट के नाम का इन्द्राज किये जाने के आदेश सादिर फरमाने की कृपा करे। अन्य उचित आज्ञा जो न्याय संगत हो फरमाने की कृपा करे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस जरिये नोटिस तलब किये गये रेस्पोडेन्टान संख्या 01 लगायत 07 की ओर से श्री इन्द्रसिंह शेखावत विद्वान एडवोकेट ने वकालतनामा मय जबाव पेश किया कि अपील के बिन्दु सं० 1 से 8 स्वीकार है अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर इंतकाल न० 740 वाके केसरपुर मे से हम रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 7 का नाम कलमजन किया जाकर अपीलान्ट के नाम इन्द्राज किये जाने मे हम रेस्पा० को कोई आपत्ति नहीं है अपीलान्ट का नाम इन्द्राज कर दिया जावे हमे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादीयान की ओर से अनापत्ति अर्थात अपीलार्थी के कथनों मे सहमति व्यक्त की गई।


वकुलाय की बहस सुनी गई वकील अपीलान्ट की अपील के बाबत वकील रेस्पोडेन्टान ने कथन किया कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है तो रेस्पोडटान को कोई आपत्ति नहीं है



उपखण्ड अधिकारी
अलवर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया वकूलाय को सुना गया बहस पर मनन करने के उपरान्त पत्रावली का अवलोकन करने तथा वकील की दलीलें सुनने के उपरांत पाया गया कि प्रार्थना पत्र दफा 5 पर उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए इसे स्वीकार किया गया है तथा बहस पर सम्यक् विचार किया गया है।

प्रथम दृष्टया, पारित आलोच्य आदेश अपास्त योग्य प्रतीत होता है। फलस्वरूप, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है इस प्रकार ग्राम भाखेडा, ग्राम पंचायत केसरपुर, तहसील अलवर जिला अलवर की आज्ञा इंतकाल संख्या 740 दर्ज दिनांक 11.07.2016 स्वीकृत दिनांक 21.07.2007 (विरासत) को इस सीमा तक निरस्त किया जाता है कि प्रकरण को तहसीलदार अलवर को निम्न निर्देशों सहित पुनः विचारार्थ प्रेषित किया जाता है कि पक्षकार को भू-राजस्व अधिनियम एवं अन्य राजस्व नियमों के अनुसार पर्याप्त अवसर एवं समय प्रदान कर, विधिक साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए तथा तत्पश्चात नामांतरण संबंधी कार्यवाही विधिपूर्वक पुनः संपादित की जाए।

निर्णय आज दिनांक 13-10-2025 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सुनाया गया।


माधव नारदराज (L.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर


माधव नारदराज (L.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर
अलवर